

• **छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) एवं नियम 1998 :-**

• **छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973**

(क्रमांक 44 सन् 1973)

(दिनांक 29 सितम्बर 1973 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 11 अक्टूबर, 1973 को प्रथम बार प्रकाशित की गई)

छत्तीसगढ़ में साहित्यिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, खैराती एवं जनकल्याणकारी तथा अन्य सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य सरकार के चौबीसवें वर्दगा में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो -

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ - (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत करे।

2. सोसायटियां जिनको अधिनियम लागू होता है - यह अधिनियम उन सोसायटियों को लागू होता है जो निम्नलिखित समस्त प्रयोजनों के लिए या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिये बनायीं गयीं हों -

(एक) विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये,

(दो) उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिये,

(तीन) राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये,

(चार) सदस्यों के साधारण उपयोग के लिये या जनता के लिये खुले रहने वाले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिस्थापन या अनुरक्षण के लिये,

(पांच) चित्रकारी तथा अन्य कलाकृतियों की वीथिकाओं की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये,

(छः) लोक संग्रहालयों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये,

(सात) प्रकृति विज्ञान, यांत्रिक तथा दार्शनिक आविष्कारों, उपकरणों या परिकल्पनाओं के संग्रहण के लिये,

(आठ) सामाजिक कल्याण के संप्रवर्तन के लिये,

(नौ) धार्मिक या खैराती प्रयोजन, जिसके अंतर्गत सैनिक अनाथों के कल्याण, राजनैतिक पीड़ितों के कल्याण और वैसे ही व्यक्तियों के कल्याण और निधियों की स्थापना आती है, के सम्प्रवर्तन के लिये,

(दस) व्यायाम - विधा की प्रोन्नति के लिए,

(ग्यारह) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा उनका क्रियान्वयन,

(बारह) वाणिज्य, उद्योग तथा खादी की प्रोन्नति

3. पारिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "सोसायटी के शासी निकाय" से अभिप्रेत है गवर्नर, परिषद् संचालक, समिति न्यासी या अन्य निकाय, जो चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, तथा जिसे सोसायटी के विनियमों द्वारा उसके कामकाज का प्रबंध सौंपा गया हो,

(ख) "सोसायटी के सदस्य" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे सोसायटी के विनियमों के अनुसार सोसायटी में प्रवेश दिया गया हो, तथा जो सोसायटी का तत्समय सदस्य हो, और जिसने सोसायटी के विनियमों के अनुसार -

(एक) अभिदान का संदाय कर दिया गया हो,

(दो) सदस्यों की नामावली या सूची में हस्ताक्षर कर दिये गये हों और

(तीन) पदत्याग न किया हो।

(ग) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया सोसायटी का रजिस्ट्रार, और उसके अंतर्गत उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये सोसायटी के अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार उस दशा में आते हैं, जबकि वे रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर रहे हों, या रजिस्ट्रार के समस्त कर्तव्यों का या उनमें से किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहे हों,

(घ) "सोसायटी के विनियमों" से अभिप्रेत है सोसायटी के रजिस्ट्रीकृत विनियम जो तत्समय प्रवृत्त हो,

(ङ) "सोसायटी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गयी या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी कोई सोसायटी,

(च) "राज्य सहायता प्राप्त सोसायटी" से अभिप्रेत है, वह सोसायटी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी निकाय से सहायता, अनुदान या उधार प्राप्त करती है या जिसने रियायती दरों पर भूमि या भवन या दोनों तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त की हैं।

टिप्पणी (धारा 3)

राज्य से लाभ प्राप्त सोसायटी - याचिकाकर्ता की प्रशासकीय निकाय को अतिष्ठित करना प्रस्तावित करते हुए शासन द्वारा धारा 33 के अंतर्गत जारी नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि नोटिस विधि के अधिकार के बिना है, याचिकाकर्ता सोसायटी शासन से लाभ प्राप्त सोसाइटी नहीं है - राज्य शासन के द्वारा यह कथन किया गया कि याचिकाकर्ता सोसायटी ने राज्य सरकार से जमीन प्राप्त किया है इसलिए "राज्य से लाभ प्राप्त सोसाइटी" की परिभाषा की पूर्ति होती है एवं पट्टा विलेख की प्रतिलिपि पेश किया है। अभिनिर्धारित - याचिकाकर्ता सोसाइटी ने राज्य शासन से रियायती दर से जमीन प्राप्त किया है इसलिये उसके कामकाज के प्रबंध को विधिक हस्तक्षेप से विनियमित किये जाने के लिए अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत बाध्य है। (बाल आश्रम वि.छ.ग. राज्य एवं अन्य 2006(1) छ.ग.लॉ.ज. 468)

शासन सहायता प्रदत्त सोसायटी को, सहायता प्राप्त होना चाहिये। केवल सहायता की स्वीकृति अपर्याप्त है। (आदर्श विद्या मंदिर वि. मध्यप्रदेश राज्य, 1982 एम.पी.एल.जे. 762 = 1983 जे.एल.जे. 161)

याची राज्य से सहायता प्रदत्त सोसायटी है। राज्य शासन सांस्कृतिक हाल के निर्माणार्थ 24,000/- वर्ग फीट भूमि निकाय धारा 33 के अधीन हटाया गया, यह न तो अवैधानिक है, न ही मनमानी। (पत्रकार भवन समिति वि. मध्यप्रदेश शासन 2000(1) एम.पी.एल.जे. 239)

याची सोसायटी राज्य शासन से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है। सन् 1990-91 के वर्दगा में उसे राज्य शासन से मात्र 50,000/- रुपये का सहायता दिया गया था, याची/सोसायटी की स्थिति को देखते हुये वह राज्य सहायता प्रदत्त सोसायटी नहीं है। छतरपुर होमियोपैथिक एवं बायोकेमिक एसोसियेशन वि. मध्यप्रदेश राज्य, 2001 (3) एम.पी.एल.जे. 405

(3-क. विघमान सोसायटियों का बचाव - धारा 44 के अधीन निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली कोई सोसायटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जावेगी।)

टिप्पणी (धारा 3-क)

निरसित सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के संबंध में संदर्भ, नये अधिनियम के लिये संदर्भ के रूप में लिये जाने के योग्य हैं। निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण नये अधिनियम के अधीन समझे जाने के योग्य है। ए.आई.आर. 1964 सन्या 173 (अनुमोदित) ए.आई.आर. 1962 बाम्बे 12 (विभेदित)। शंकर सिंह वि. संस्था सोनाबाई श्राविकाश्रम खुरई, आई.एल.आर. 1980 एम.पी. 568= 1976 जे.एल.जे. 465

अध्याय - 2

समितियों का पंजीयक तथा उनके अन्य अधिकारी

4. सोसायटियों का रजिस्ट्रार तथा उनके अन्य अधिकारी (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को नियुक्ति कर सकेगी, जो कि सोसायटियों का रजिस्ट्रार कहलायेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तथा ऐसे कर्तव्यों एवं कृत्यों का पालन करेगा, जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा

या उनके अधीन प्रदत्त की गयी है, और ऐसे साधारण या विशेष आदेश के, जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं, के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रशासन का अधीक्षण करेगा और सम्पूर्ण राज्य में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करेगा।

(2) राज्य सरकार वैसे ही अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्टगत किये जायें और व्यक्ति भी नियुक्त कर सकेगी, जो सोसायटी के अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार कहलायेंगे और उन्हें इस अधिनियम के समस्त उपबन्धों या उसमें से किसी भी उपबंध के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिये जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्टगत की जाये। किए जाएं, सशक्त कर सकेगी।

टिप्पणी (धारा 4)

अधिनियम का उद्देश्य, अधिनियम के अध्याय सात के उद्देश्य के अनुसार पंजीयक के केवल शैक्षिक अधिकारी आयोजित होगा। श्रमधाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन समिति एवं अन्य वि.मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2003 (2) एम.पी.एल.जे.

अध्याय-3

रजिस्ट्रीकरण

5. सोसायटियों प्रतिष्ठान - ज्ञापन तथा रजिस्ट्रीकरण द्वारा बनेगी - कोई भी सात या सात से अधिक व्यक्ति, जो किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, धार्मिक या खैराती प्रयोजन के लिए या किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिये जो कि धारा 2 में वर्णित हैं, सहयुक्त हुए हों, प्रतिष्ठान ज्ञापन में अपने हस्ताक्षर करके और उसे रजिस्ट्रार के पास फाईल करके इस अधिनियम के अधीन स्वयं की एक सोसायटी बना सकेंगे।

6. प्रतिष्ठान - ज्ञापन के संबंध में अपेक्षाएँ - (1) प्रत्येक सोसायटी के प्रतिष्ठान ज्ञापन में निम्नलिखित बातें कथित की जायेगी -

(क) सोसायटी का नाम

(ख) सोसायटी का उद्देश्य

(ग) सोसायटी के प्रधान कार्यालय का स्थान

(घ) गवर्नरो, परिषद, संचालकों, समिति या अन्य शासी निकाय, जिसे सोसायटी के विनियमों द्वारा सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सौपा गया हो, के नाम, पते तथा उनकी उपजीविकाएँ।

(2) प्रतिष्ठान ज्ञापन में कोई भी ऐसा नाम प्रस्थापित नहीं किया जायेगा -

(क) जो उस नाम के, जिसके कि कोई विद्यमान सोसायटी राज्य में कहीं भी तत्पूर्व रजिस्ट्रीकृत की गयी हो, समान हो या अत्यधिक सदृश हो, या

(ख) जो -

(एक) ऐसे शब्द से बनता हो जो भारत सरकार का या किसी राज्य की सरकार का प्रतिष्ठान व्यंजित करते हो या व्यंजित करने के लिए प्रकल्पित हो, या

(दो) राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय या विश्व्यापी महत्व के ऐसे शब्दों से या ऐसे अन्य शब्दों से बनता हो जिन्हें कि राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्देशित करें, या

(तीन) ऐसे शब्दों से बनता हो, जिनसे कि रजिस्ट्रार की राय में जनता को भ्रम होना संभाव्य हो।

(3) सोसायटी के विनियमों की एक प्रतिलिपि, जिसे शाषी निकाय के सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्यों द्वारा सही प्रतिलिपि प्रमाणित किया गया हो, प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाईल की जायेगी।

(4) वे व्यक्ति जिनके द्वारा या जिनकी ओर से ऐसा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाये, सोसायटी के बारे में ऐसी और जानकारी देंगे, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करें।

टिप्पणी (धारा 6)

'छत्तीसगढ़ शीषक कांग्रेस' द्वारा छ.ग. उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर पंजीयक फर्म एवं सोसायटी द्वारा दिनांक 6-2-2001 को "छत्तीसगढ़ प्रदेश शीषक कांग्रेस" के पंजीयन एवं अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10-4-2002 को इस संबंध में अपील निरस्त करने के आदेशो पर प्रश्न चिन्ह लगाया। वाद स्वीकार करते हुए अपील प्राधिकारी का आदेश दिनांक 10-4-2002 तथा "छत्तीसगढ़ प्रदेश शीषक कांग्रेस" का पंजीयन निरस्त किया गया। छत्तीसगढ़ शीषक कांग्रेस वि. छ.ग. राज्य एवं अन्य रिट पिटीशन नं. 1177 सन् 2002 आदेश पारित दिनांक 27-4-2011

पुनरावेदक के अपने सोसायटी का नामकरण किया/रखा जिससे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भ्रम उत्पन्न कर रहा है। पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी ने संशोधनार्थ निर्देश प्रदत्त किया सही है। 2002(1) एम.पी.नो. 206 इंडियन प्रेस काउन्सिल वि. मध्यप्रदेश राज्य सरकार

7. रजिस्ट्रीकरण - यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि सोसायटी ने इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है और यह कि उसके प्रस्थापित विनियम उक्त उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं, तो वह ऐसी फीस का संदाय करने पर जो कि विहित की जाये, सोसायटी और उसके विनियमों को रजिस्ट्रीकृत करेगा और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

टिप्पणी (धारा 7)

छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 एक विशेष अधिनियम है, जो कि 1973 के अधिनियम पर अभिभावी होता है। न्यास, सोसायटी के रूप में अधिनियम की धारा 7 के अधीन पंजीकृत हो, तो भी वह 1951 के अधिनियम के अधीन पंजीकृत किये जाने योग्य है। मुकुट सिंह सिकरवार वि. मूर्ति श्री द्वारिकाधीश जी महाराज, 1992(2) विधि भास्वर 215 = 1992 एम.पी.एल.जे. 273

8. रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य - रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाये कि सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा, कि उसमें वर्णित सोसायटी सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है।

9. सोसायटी के विनियम - सोसायटी के विनियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेगा -

(एक) सदस्यों को प्रवेश देने की शर्तें,

- (दो) कतिपय परिस्थितियों में जुर्माने तथा सम्पहरण के प्रति सदस्यों का दायित्व
- (तीन) किसी अभिदान या जुर्माने का संदाय न करने के परिणाम, सदस्यों के त्यागपत्र और निदग्कासन,
- (चार) न्यासियों की नियुक्ति, उनका हटाया जाना और उनकी शक्तियाँ
- (पांच) शासी निकाय को नियुक्त करने तथा उसे हटाने की रीति और ऐसे निकाय की शक्तियाँ,
- (छः) सोसायटी के वार्षिक सम्मेलन तथा अन्य सम्मेलनों का समय और स्थान,
- (सात) वह रीति, जिसमें ऐसे सम्मेलनों की सूचना दी जा सकेगी,
- (आठ) सोसायटी के सम्मेलनों में काम-काज करने के लिये अवयश्यक गणपूर्ति,
- (नौ) विनियम बनाने, उन्हें परिवर्तित और विखंडित करने की रीति,
- (दस) निधियों का विनिधान, लेखाओं का रखा जाना और लेखाओं की वार्षिक या नियत कालिक संपरीक्षा,
- (ग्यारह) सोसायटी को विघटित करने की रीति,
- (बारह) विघटन के पश्चात् इस बात का अवधारण कि सम्पत्ति का उपयोग सरकार द्वारा धारा 36 के अनुसार किया जायेगा।
- (तेरह) उपविधियों द्वारा उपबंधित किये जाने वाले विद्गाय तथा वह रीति, जिसमें वह बनायी जायेगी, और
- (चौदह) ऐसे अन्य विषय, जो सोसायटी के स्वरूप और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समीचीन समझे जाएँ।

टिप्पणी (धारा 9)

सोसायटी के उपविधियों के अनुसार सदस्य होने की रीति, प्रशाषक अन्य रीति का अनुसरण नहीं कर सकता है। कुसुम बाई जैन वि. मध्यप्रदेश राज्य, 1998 (2) जे.एल.जे. 397

सदस्य के द्वारा शुल्क भुगतान नहीं, उपविधियों में कोई उपबंध नहीं, कि समाप्ति स्वयंमेव होती है। समाप्ति उपविधियों के अनुसार की जा सकती है। कुसुम बाई जैन वि. मध्यप्रदेश राज्य, 1998 (2) जे.एल.जे. 397

10. रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के ज्ञापन व विनियमों या उपविधियों के संशोधन - (1) रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के प्रतिष्ठान - ज्ञापन या विनियमों का कोई भी संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह संशोधन इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न कर लिया गया हो।

(2) ऐसे संशोधन के लिये प्रत्येक प्रस्थापना ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाए, रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाएगी और यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाए कि संशोधन इस

अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिकूल नहीं हैं, तो वह यदि उचित समझे, संशोधन को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा।

(3) जहाँ कोई संशोधन उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, वहाँ रजिस्ट्रार धारा 29 में विनिर्दिष्ट की गयी फीस का संदाय करने पर संशोधन की एक प्रतिलिपि जो कि उसके द्वारा प्रमाणित की जायेगी, सोसायटी को देगा, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह (संशोधन) सम्यक् - रूपेण रजिस्ट्रीकृत है।

11. सोसायटी के ज्ञापन या विनियमों आदि को संशोधित करने की रजिस्ट्रार की द्रवित - (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विद्गत किसी बात के होते हुए भी यदि रजिस्ट्रार यह समझे कि किसी सोसायटी के प्रतिष्ठान-ज्ञापन या विनियम या उपविधियों में कोई संशोधन किया जाना उस सोसायटी के हित में आवश्यक या वांछनीय है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, जिसकी तामील उस सोसायटी पर विहित रीति में की गजायेगी, उस सोसायटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर , जो कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, वह उस संशोधन को करे।

(2) यदि वह सोसायटी उस समय के भीतर जो कि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश में विनिर्दिद्गत किया गया हो, कोई ऐसा संशोधन करने से चूक जाये, तो रजिस्ट्रार उस सोसायटी को उसकी आपत्तियां, यदि कोई हों, कथित करने का अवसर देने के पश्चात -

(क) प्रतिष्ठान - ज्ञापन या विनियमों के ऐसे संशोधन को रजिस्ट्रार में दर्ज करेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि उस सोसायटी को भेजेगा, या

(ख) उपविधियों में ऐसा संशोधन करेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि उस सोसायटी भेजेगा, और तदुपरि प्रतिष्ठान ज्ञापन या विनियमों या उपविधियों का ऐसा संशोधन उस सोसायटी तथा उसके सदस्यों को आबद्धकर होगा।

12. सोसायटी के नाम की तब्दीली - कोई भी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी धारा 14 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, अपने नाम की तब्दीली, इस प्रयोजन के लिये बुलाये गये साधारण सम्मिलन में अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की सम्मति से पारित संकल्प द्वारा कर सकेगी।

13. नाम तब्दीली की सूचना - (1) धारा 12 के अधीन पारित किये गये संकल्प की एक प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि नाम की तब्दीली के बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन हो गया तथा यह समाधान हो जाये कि प्रस्थापित नाम धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुरूप है तो वह पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर रजिस्ट्रार में नया नाम दर्ज करेगा, तथा दर्ज किया जाने का प्रमाण पत्र उसमें आवश्यक परिवर्तन सन्निविद्गत करके जारी करेगा, तथा नाम की तब्दीली ऐसा प्रमाण पत्र जारी होने पर ही पूर्ण एवं प्रभावी होगी।

(3) रजिस्ट्रार सोसायटी के प्रतिष्ठान - ज्ञापन में भी आवश्यक परिवर्तन करेगा।

(4) रजिस्ट्रार, उपधारा (2) के अधीन जारी किये गये प्रमाण पत्र की किसी भी प्रतिलिपि के लिये एक रुपया फीस लेगा, और इस प्रकार संदत्त समस्त फीस का राज्य सरकार को लेखा दिया जायेगा।

14. नाम तब्दीली का प्रभाव - सोसायटी के नाम में तब्दीली का उन सदस्यों, जिनको कि तब्दीली के पूर्व में दिया गया हो, या सोसायटी के किन्हीं भी अधिकारों या उनकी बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या न वह तब्दीली सोसायटी द्वारा की गयी या सोसायटी के विरुद्ध की गयी किसी विधिक कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण बनायेगी।

15. सोसायटियां अपने प्रयोजनों को परिवर्तित करने या न्यून करने के लिये समर्थ बनायी जायेंगी - जब कभी किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के, जो किस विशिष्ट प्रयोजनों का प्रयोजन के लिये स्थापित की गयी हो, शासी निकाय को यह प्रतीत हो, कि ऐसे प्रयोजन की, इस अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत अन्य प्रयोजनों के संबंध में या प्रयोजनों के लिये परिवर्तित करना, विस्तारित करना या न्यून करना या ऐसी सोसायटी को किसी अन्य सोसायटी के साथ पूर्णतः या भागतः समामेलित करना उचित है, ऐसा शासी निकाय उस प्रतिपादन का सोसायटी के सदस्यों के समक्ष लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कर सकेगा और सोसायटी के विनियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिये एक विशेष सम्मिलन बुला सकेगा :

परन्तु कोई भी ऐसी प्रतिपादना तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी, जब तक कि ऐसी रिपोर्ट शासी -निकाय द्वारा उस पर विचार करने के लिये बुलाये गये विशेष सम्मिलन के दस दिन पूर्व, सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त न कर दी गयी हो या डाक से भेज न दी गयी हो और जब तक कि ऐसी प्रतिपादन को सदस्यों के तीन पंचमाश मतों द्वारा जो कि स्वयं दिये गये हों या परोक्ष द्वारा दिये गये हों, सहमति प्राप्त न हो गई हो तथा शासी -निकाय द्वारा पूर्व सम्मिलन के पश्चात् एक मास के अंतराल से बुलाये गये द्वितीय विशेष सम्मिलन में उपस्थित सदस्य के तीन पंचमाश मतों द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी गयी हो।

अध्याय - 4

सदस्य, उनके अधिकार तथा विशेषाधिकार

16. सदस्य का रजिस्टर - (1) प्रतिष्ठान - जापन के हस्ताक्षरकर्ता सोसायटी के प्रथम सदस्य होंगे।

(2) प्रत्येक सोसायटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर अपने प्रधान कार्यालय में बनाये रखेगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ दर्ज करेगी, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा तारीख सहित हस्ताक्षर

(ख) वह तारीख जिसको कि सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो,

(ग) वह तारीख जिसको कि सदस्य न रहे हों।

(3) सदस्यों का रजिस्टर सोसायटी की सदस्यता का तथा उसमें दर्ज की गई समस्त बातों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा:

परन्तु ऐसा कोई भी सदस्य जिसका अभिदान, तत्समय, छः मास से अधिक कालावधि से बकाया हो, इस अधिनियम के अधीन सोसायटी की किन्हीं भी कार्यवाहियों में मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि किसी सदस्य के प्रवेश या सदस्यता की समाप्ति के 30 दिन के भीतर सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टियां न की जाये तो व्यतिक्रम करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी जुर्माने से, जो सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

17. सदस्यों पर व्यक्तियों की भांति वाद चलाये जाने के दायी होंगे - (1) रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी भी ऐसे सदस्य के विरुद्ध, जिस पर कोई अभिदान, जिसका कि संदाय करने के लिये वह सोसायटी के विनियमों के अनुसार आबद्ध हो, बकाया हो या जो सोसायटी की कोई सम्पत्ति, ऐसी रीति में या ऐसे समय के लिये, जो ऐसे विनियमों के प्रतिकूल हो, अपने कब्जे में रखेगा या निरुद्ध करेगा या सोसायटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायेगा या उसे नष्ट करेगा, ऐसे बकाया के लिये या सम्पत्ति के ऐसे निरोध, क्षति या विनाश से प्रोद्भूत होने वाली नुकसानी के लिये इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार वाद चलाया जा सकेगा।

(2) यदि प्रतिवादी किसी ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही में जो कि सोसायटी की प्रेरणा पर उसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई हो, किया गया हो, सफल हो जाये और अपना खर्च वसूल करने के लिये न्याय निर्णित किया जाये, तो वह इस बात का चुनाव कर सकेगा कि उस खर्च की उस अधिकारी से, जिसके कि नाम से वाद चलाया जायेगा या सोसायटी से, वसूल करने की कार्यवाही करे, और पश्चात् कथित मामले में उक्त सोसायटी की सम्पत्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार कार्यवाही करेगा।

18. अपराधों के दोषी सदस्य व्यक्तियों की भांति दंडनीय होंगे - सोसायटी का कोई भी सदस्य, जो ऐसी सोसायटी का कोई धन या अन्य सम्पत्ति चुरायेगा, हड़पेगा या गबन करेगा या जानबूझकर तथा विदेशतावश ऐसी सोसायटी की सम्पत्ति को नष्ट करेगा या क्षति पहुंचायेगा या किसी विलेख, बंधपत्र धन की प्राप्ति के लिये प्रतिभूति या अन्य लिखित को कूटरचित करेगा, जिससे कि सोसायटी की निधियों को हानि पहुंचने की आशंका हो, उसी प्रकार के अभियोजन के अधीन होगा और यदि सिद्ध दोद्गा ठहराया जाये, तो वैसी ही रीति से दण्डित किये जाने का भागी होगा, जिस प्रकार की सदस्य से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति उसी प्रकार के अपराध के संबंध में अभियोजन के अधीन होता तथा दण्डित किये जाने का भागी होता।

19. उपविधि के अधीन प्रोद्भूत होने वाली राशि की वसूली - जब कभी सोसायटी के विनियमों के अनुसार सम्यक् रूप से बनाई गई किसी उपविधि द्वारा सोसायटी के किन्हीं विनियमों या किसी उपविधि के भंग के लिये कोई धन संबंधी शासित अधिरोपित की जाये, तो ऐसी शासित, प्रोद्भूत होने पर, उस स्थान पर, जहाँ कि प्रतिवादी निवास करता हो या जहाँ कि सोसायटी स्थित हो, जिसे भी उसका शासी निकाय समीचीन समझे, अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय में वसूल की जा सकेगी।

अध्याय - 5

सोसायटियों की सम्पत्ति तथा निधियाँ

20. सोसायटियों की सम्पत्ति किस प्रकार निहित होगी - इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गयी किसी सोसायटी की जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति यदि वह न्यायियों में निहित न हुई हो तो तत्समय ऐसी सोसायटी के शासी -निकाय में निहित हुई समझी जायेगी और समस्त सिविल तथा दाण्डिक कार्यवाहियों में उचित नाम से सोसायटी के शासी -निकाय की सम्पत्ति के रूप में वर्णित की जायेगी।

21. (1) सोसायटी स्थावर सम्पत्ति का अर्जन, विक्रय या अंतरण रजिस्ट्रार की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं करेगी - सोसायटी द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जायेगी।

(2) अर्जित या अंतरित की गई सम्पत्ति का उपयोग, सोसायटी के उद्देश्यो से भिन्न किसी उद्देश्य के लिये तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रार से अनुज्ञा अभिप्राप्त न कर ली गई हो तथा दान की दशा में दाता की लिखित सहमति भी अभिप्राप्त न कर ली गई हो।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप में ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाए, किया जाएगा।

(4) जहाँ कोई सोसायटी उपधारा (1) या (2) के उपबंधों का उल्लंघन करती है वहाँ सोसायटी ऐसी रकम जैसी कि विहित की जाए, रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नोटिस की तारीख से तीन मास के भीतर जमा करने के लिए दायी होगी और यदि सोसायटी ऐसी रकम पूर्वोक्त समय के भीतर जमा करने में असफल रहती है तो सोसायटी को धारा 34 के अधीन निष्क्रिय समझा जाएगा।

शासनादेश

धारा 21 के संबंध में विधि विभाग से पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएँ, रायपुर को प्रदत्त अभिमत निम्नानुसार है :-

उपर वर्णित धारा 21 की उपधारा (1) में शब्द 'अन्यथा' का अर्थान्वयन संकुचित रूप में न किया जाकर वृहद रूप द्वारा सम्पत्ति के अर्जन भी होगा और ऐसी स्थिति में धारा 21 के प्रावधान आकर्षित होंगे।

धारा 21 की उपधारा (2) के प्रावधान अपने आप में स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार के अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना उपरोक्तानुसार किसी भी रूप में अर्जित सम्पत्ति का उपयोग, सोसायटी के उद्देश्य से भिन्न किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा और यह प्रावधान आज्ञापक है।

अतः प्रशासकीय विभाग अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों व उसके प्रकाश में स्पष्ट की गई स्थिति के अनुरूप अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कर सकता है।

(मान. प्रमुख सचिव विधि द्वारा अनुमोदित)

सही/-

(के.एल. चरयाणी)

अति. सचिव (विधि) दि. 6-1-2010

22. सोसायटी द्वारा तथा उसके विरुद्ध वाद - प्रत्येक सोसायटी उसके अध्यक्ष या सभापति या प्रधान सचिव या न्यासियों के नाम से, जैसा कि सोसायटी के विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये और इस प्रकार अवधारित न किये जाने की दशा में उस व्यक्ति के जो कि शासी निकाय द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाये, नाम से वाद चला सकेगी या उसी नाम के विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा:

निर्देशित न किया जाये तो सोसायटी के विरुद्ध दावा या मांग करने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह उसके अध्यक्ष या सभापति या प्रधान सचिव या न्यासियों के विरुद्ध वाद चलाये।

23. वाद का उपशमन नहीं होगा - किसी सिविल न्यायालय के किसी भी वाद का उपशमन इस कारण नहीं होगा, या उसमें की कोई भी कार्यवाही इस कारण बंद नहीं होगी, कि उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध ऐसा वाद चलाया गया हो या ऐसी कार्यवाही की गयी हो, मृत्यु हो गयी हो या वह उस हैसियत में, जिस नाम से कि वह व्यक्ति वाद चलाता, या जिस नाम से कि उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद चलाया जाता, नहीं रहा गया है, किन्तु वहीं वाद/कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम से या उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी के विरुद्ध चालू रखा जायेगा/रखी जायेगी।

24. सोसायटी के विरुद्ध निर्णय का प्रवर्तन - (1) यदि सोसायटी की ओर से नामित व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध कोई निर्णय हो जाये, तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारी की जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध या उसके द्रारीर के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं किया जायेगा अपितु उसे सोसायटी की सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तित किया जायेगा।

(2) निदगपादन संबंधी आवेदन में निर्णय उपवर्णित किया जायेगा, यह तथ्य उपवर्णित किया जायेगा कि उस पक्षकार ने जिसके विरुद्ध निर्णय हुआ है सोसायटी की ही ओर से वाद चलाया है या उस वक्त पक्षकार के विरुद्ध सोसायटी के ही निमित्त वाद चलाया गया है, जैसी भी दशा हो और उसमें (आवेदन में) यह अपेक्षा की जायेगी कि निर्णय सोसायटी की सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तित किया जाये।

25. सोसायटी द्वारा लेखा पुस्तकों का रखा जाना - (1) प्रत्येक सोसायटी अपने प्रधान कार्यालय पर निम्नलिखित के संबंध में उचित लेखा रखेगी:-

(क) सोसायटी द्वारा प्राप्त की गयी तथा व्यय की गई समस्त धनराशी और वे बातें जिनके बाबत धन राशि प्राप्त होती हो तथा उनका व्यय होता हो और

(ख) सोसायटी की आस्तियां तथा दायित्व।

(2) लेखा पुस्तकें, सोसायटी के कार्यालय समय के दौरान, सोसायटी के पदाधिकारी या सदस्यों के या रजिस्ट्रार के निरीक्षण के लिये खुली रहेंगी।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये, उचित लेखा पुस्तकें उनमें विनिर्दिष्ट की गयी बातों के संबंध में रखी गयी नहीं समझी जायेंगी यदि वे सोसायटी के कार्यकलापों की स्थिति का सही तथा साफ चित्र प्रस्तुत न करती हो और उसके संव्यवहारों को स्पष्ट न करती हो।

26. अभिलेखों आदि का अधिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की द्राक्ति - (1) जहाँ कि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि -

(क) किसी सोसायटी के अभिलेख, रजिस्ट्रार या लेखा पुस्तकों का बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना संभाव्य है तथा किसी सोसायटी की निधियों एवं सम्पत्ति या दुर्विनियोजन या दुरुपयोजन किया जाना संभाव्य है, या

(ख) यदि किसी सोसायटी के शासी -निकाय या सोसायटी के साधारण सम्मेलन में पुनर्गठन हुआ हो और उस शासी -निकाय के बहिर्गामी सदस्यों ने सोसायटी के अभिलेखों तथा सम्पत्ति का भार उन व्यक्तियों को, जिन्हें कि ऐसा भार प्राप्त होना या जो ऐसा भार प्राप्त करने के हकदार हो, सौंपने से इंकार कर दिया है, वहाँ रजिस्ट्रार अपने द्वारा लिखित में सम्यक् रूपेण प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को यह निर्देशित करते हुए आदेश जारी कर सकेगा कि वह उस सोसायटी की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियों एवं सम्पत्ति का अधिग्रहण कर ले, तथा उनका कब्जा ले ले और सोसायटी के वे

अधिकारी जिन पर ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा का उत्तरदायित्व हो, इस प्रकार प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को उनका परिदान करेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये रजिस्ट्रार ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा तथा ऐसे न्यूनतम बल का जिसमें पुलिस बल सम्मिलित है, प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा, जो कि आवश्यक समझा/समझी जाये।

अध्याय - 6

वार्षिक विवरणियाँ, संपरीक्षा, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण

27. शासी निकाय की वार्षिक सूची फाईल की जायेगी - प्रत्येक वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसको कि सोसायटी के विनियमों के अनुसार सोसायटी का वार्षिक साधारण सम्मिलन किया गया हो, पश्चात् आने वाले पैंतालीसवे दिन या उसके पूर्व या जब सोसायटी के विनियम में वार्षिक साधारण सम्मिलन करने का उपबंध न हो तो 31 जनवरी से पैंतालीस दिन के भीतर, सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा ऐसे प्ररूप में ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ जो कि विहित की जाए, शासी निकाय के पूरे नामों, स्थायी पते तथा मुख्य उपजीविकाओं एवं अन्य बातों, यदि कोई हों, की एक सूची हस्ताक्षरों सहित रजिस्ट्रार के पास फाईल की जाएगी:

परन्तु रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अनुपालन के लिए पन्द्रह दिन से अनधिक और समय दे सकेगा,

परन्तु यह ओर भी कि यदि सोसायटी विहित समय-सीमा के भीतर या बढ़ाए गए समय के भीतर, सूची फाईल करने भीतर सूची ऐसी विलम्ब फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाए, फाईल कर सकेगी।

28. संपरीक्षा तथा निरीक्षण - (1) प्रत्येक सोसायटी, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से या जहां विनियम में किसी वार्षिक साधारण सम्मिलन के लिए उपबंध नहीं है वहां प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की 30 तारीख से नब्बे दिन के भीतर संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूपेण संपरीक्षित पूर्व विशिष्टियों सहित आय तथा व्यय का विवरण, पूर्ववर्ती वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा तुलना-पत्र (बैलेन्स शीट) समस्त वित्तीय क्रियाकलापों के साथ तथा ऐसी फीस सहित जैसी कि विहित की जाए, रजिस्ट्रार को भेजेगी। यदि सोसायटी उपर्युक्त विवरण नियत समय के भीतर भेजने में असफल रहती है तो सोसायटी ऐसी विलम्ब फीस संदत्त करने की दायी होगी जैसी कि विहित की जाए। रजिस्ट्रार, ऐसे विवरण के प्राप्त होने पर, विवरण का सत्यापन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निधियों का उपयोग सोसायटी और उद्देश्य की अभिवृद्धि के लिये किया गया है और व निधियों के उपयोग के संबंध में ऐसे अनुदेश भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु एक लाख से अधिक संव्यवहार करने वाली सोसायटी के लेखे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूपेण संपरीक्षित रूप में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) यदि रजिस्ट्रार विशेष संपरीक्षा करना आवश्यक समझे, वह किसी भी सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा स्वयं कर सकेगा या उसके द्वारा इस संबंध में लिखित संधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी भी व्यक्ति से करवा सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार द्वारा लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी भी व्यक्ति की, सोसायटी की समस्त लेखा पुस्तकों तथा अन्य कागज पत्रों तक समस्त समयों पर

पहुंच होगी और सोसायटी का प्रत्येक अधिकारी सोसायटी के लेखाओं तथा उसके कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जो कि ऐसा निरीक्षण करने वाला व्यक्ति अपेक्षित करे।

टिप्पणी (धारा 28)

धारा 32 के अधीन रिपोर्ट पर आधारित कारण बतलाओं सूचना प्रदत्त, फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिये। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार यह अपेक्षित है, रिपोर्ट की प्रतिलिपि पीड़ित निकाय को प्रदान की जाए। छिपाने का कार्य न्यायिक कल्प स्वभाव का है, और एक प्रशासनिक शक्ति नहीं है। राजबहादुर पाठक वि. म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1985 एम.पी. 238 = 1985 एम.पी.एल.जे. 549 = 1985 जे.एल.जे. 563

29. दस्तावेजों का निरीक्षण - कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल किये गये समस्त दस्तावेजों या उनमें से किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा, या ऐसी फीस जैसी कि विहित की जाए, के साथ आवेदन फाइल करके ऐसे किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि या उसका उद्धरण जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि उसमें अंतर्विशित बातों के संबंध में चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, समस्त विधिक कार्यवाहियों में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगी।

30. हाजिर कराने की शक्तियाँ - उन्हीं साधनों द्वारा यथासंभव उसी रीति में, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) द्वारा सिविल न्यायालय के मामले में उपबन्धित हो/हैं, साक्षियों को जिनके अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार आते हैं, या उनमें से कोई भी आता है, समन करने तथा उन्हें हाजिर कराने और उन्हें साक्ष्य देने के लिये विशेष करने तथा दस्तावेज पेश करने के लिये विवश करने की रजिस्ट्रार को शक्ति होगी।

31. जानकारी मंगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति - (1) जहाँ कि किसी ऐसे दस्तावेज का, जिसका कि किसी सोसायटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, परिशालिन करने पर रजिस्ट्रार की राय हो, कि कोई जानकारी या स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक है, कि जिससे ऐसी दस्तावेज उस विषय की, जिससे कि उसका संबंधित होना तात्पर्यित है, पूर्ण विशिष्टियाँ दे सके, तो वह दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली सोसायटी से लिखित आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर जिसे कि वह उस आदेश में विनेर्दिशत करे, लिखित में दे।

(2) सोसायटी को उपधारा (1) के अधीन आदेश प्राप्त हो जाने पर, सोसायटी का तथा समस्त ऐसे व्यक्तियों का, जो कि सोसायटी के अधिकारी हैं, यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी शक्ति भर ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण दें।

जाँच तथा अतिगठन

32. जाँच तथा विवादों का निपटारा - (1) रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से, या उपधारा (2) के अधीन किये गये आवेदन पर या तो स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे कि उसने लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो, किसी सोसायटी के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति की जांच कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार की जाँच -

(क) सोसायटी के शासी -निकाय के सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों के आवेदन पर से उसकी अन्तर्वस्तु के समर्थन में एक द्रापथपत्र के साथ की जायेगी, या

(ख) सोसायटी की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के आवेदन पर से की जायेगी।

(3) रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को इस धारा के अधीन जाँच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात् -

(क) सोसायटी की या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नगदी तथा अन्य सम्पत्तियों तक उसकी अबाध पहुँच समस्त समयों पर रहेगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो किन्हीं भी ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नगदी या सम्पत्तियों का कब्जा रखता हो या उनकी अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हों, उक्त पुस्तकें, लेखें, दस्तावेजों, प्रतिभूतियाँ, नगदी या अन्य सम्पत्तियाँ, यदि वे सोसायटी के प्रधान कार्यालय से संबंधित हो, तो उसके मुख्यालय पर किसी भी स्थान पर तथा यदि सोसायटी की किसी शाखा से संबंधित हो तो उस नगर के, जिसमें किसी उसकी शाखा स्थित हो, किसी स्थान पर या अपने स्वयं के कार्यालय में पेश करने के लिये समन कर सकेगा,

(ख) वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, कि उसे सोसायटी के कार्यकलापों में से किसी भी कार्यकलाप की जानकारी है, सोसायटी के मुख्यालय पर के किसी भी स्थान पर या उसकी किसी शाखा में या अपने स्वयं के कार्यालय में अपने समक्ष उपसंजात होने के लिये समन कर सकेगा, और

(ग) (एक) वह, सोसायटी के साधारण सम्मिलन के लिये सूचना की कालावधि विनिर्दिष्ट करने वाले किसी विनियम या उपविधि के होते हुये भी, सोसायटी के अधिकारियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे सोसायटी के प्रधान कार्यालय पर या सोसायटी के मुख्यालय पर के किसी अन्य स्थान पर ऐसे समय पर जैसा कि उसके द्वारा निर्देशित किया जाये, सोसायटी का साधारण सम्मिलन बुलावे तथा ऐसे मामलों का जिनका कि संबंध में उसके द्वारा निर्देशित किया जाये, अवधारण करें और जहाँ सोसायटी के अधिकारी ऐसा सम्मिलन से इंकार करे या बुलाने से चूक जाये वहाँ उसे वह सम्मिलन स्वयं बुलाने की शक्ति होगी।

(दो) उपखंड (1) के अधीन बुलाये गये किसी सम्मिलन को सोसायटी के विनियमों या उपविधियों के अधीन बुलाये गये साधारण सम्मिलन की समस्त शक्तियाँ होंगी तथा उसकी कार्यवाहियाँ ऐसी उपविधियों द्वारा विनियमित होंगी।

(4) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की जाये, तो रजिस्ट्रार जांच का परिणाम सोसायटी को संसूचित करेगा, और सोसायटी को समुचित निर्देश जारी कर सकेगा, जो समस्त संबंधित पक्षकारों पर आबद्धकर होंगे।

टिप्पणी (धारा 32)

धारा 32 के अधीन रिपोर्ट पर आधारित कारण बतलाओं सूचना प्रदत्त, फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार यह अपेक्षित है, कि रिपोर्ट की प्रतिलिपि पीड़ित निकाय को प्रदान की जाए। छिपाने का कार्य न्यायिक कल्प स्वभाव का है, और एक प्रशासनिक सशक्त नहीं है। राजबहादुर पाठक वि. म.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 1985 एम.पी. 238=1985 एम.पी.एल.जे. 549=1985 जे.एल.जे. 563

धारा 32 के अधीन उपचार प्रदत्त। व्यवहार अन्तर्हित रूप से निदग्धित है। केशव चौबे वि. सर्वोदय समिति, 1989 (1) म.प्र.वी.नो. 14

पंजीयक की द्राक्ति - सहायता रहित विद्यालय के नियोजक एवं कर्मचारी के संबंध का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। शोभना (श्रीमती) वि. कालीदास मान्टेसरी स्कूल, उज्जैन 1991(11) म.प्र.वी.नो. 106

पंजीयक की शक्ति - वह निर्वाचित निकाय के स्थान में तदर्थ समिति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। वह शासी -निकाय का अतिलंघन करने में अक्षम है। चम्बल घाटी शिक्षा प्रसार समिति वि. मध्यप्रदेश राज्य, 1995 एम.पी.एल.जे. 969=1996 आर.एन. 46

निर्वाचित निकाय, सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना, अतिलंघन नहीं किया जा सकता है। चम्बल घाटी शिक्षा प्रसार समिति वि. मध्यप्रदेश राज्य, 1996 आर.एन. 46 = 1999 (5) एम.पी.एल.जे. 969

पंजीयक की जांच धारा 32 के अधीन चाही गई के अनुसार नहीं है। प्रशाशक को आक्षेप विचारार्थ प्रदत्त। विचार के अनुरूप आक्षेप निर्णीत। ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य शासन के समक्ष पुनरावेदन होना है। कुसुम बाई जैन वि. मध्यप्रदेश राज्य 1998 (2) जे.एल.जे. 397

धारा 32 के अधीन क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुये पंजीयक सदस्य के वैधानिकता के संबंध में जांच पड़ताल कराने हेतु प्राधिकारी है। एस.सी.श्रीवास्तव एवं अन्य वि. मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2002 (2) एम.पी.एल.जे. 607

धारा 32 के अधीन जांच, केवल शासी -निकाय के द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर तदनुसार होगा (श्रमधाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन समिति एवं अन्य वि. मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2003(2) एम.पी.एल.जे. 377)

किस आदेश या कार्यवाही के क्षेत्राधिकार से पूर्णतः परे होने की विशेष स्थिति में याचिका का प्रस्तुतिकरण प्रतिवांछित नहीं किया जा सकता, तथा वैकल्पिक उपचार का प्रावधान होने (धारा 32)

के आधार पर वाद निरस्त नहीं किया जा सकता। छ.ग. स्टेट ताइक्वांडो एसोसिएशन, बिलासपुर एवं अन्य वि. ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं अन्य, छ.ग. उच्च न्यायालय रिट पिटीशन (सी) क्र. 2976 सन् 2011, निर्णीत दिनांक 23-2-2012

33. शासी निकाय का अतिदृढान - (1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी राज्य सहायता प्राप्त सोसायटी का शासी निकाय -

(क) उन कर्तव्यों का, जो कि इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन या सोसायटी के विनियमों या उसकी उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किये गये हैं, पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करता है या उनका पालन करने में उपेक्षा करता है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए रजामंद नहीं है या

(ख) ऐसे कार्य करता है जो सोसायटी के या उसके सदस्यों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, या

(ग) अन्यथा उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है,

तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा उस शासी निकाय को हटा सकेगी तथा सोसायटी के काम काज का प्रबंध करने के लिये किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये जो प्रथमतः दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, नियुक्ति कर सकेगी :

परन्तु जहाँ सोसायटी के शासी निकाय को केवल इस आधार पर हटाना प्रस्तावित हो, कि शासी निकाय के अनुसार नहीं कराया गया था, वहाँ इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियम या उपविधियों के अनुसार उसके (शासी -निकाय) लिये निर्वाचन कराने हेतु साधारण निकाय का सम्मिलन न बुलाया हो, और वह नवीन शासी निकाय को निर्वाचित करा लेने में असफल न रहा हो :

परन्तु यह और भी रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये अधिकारी को निर्वाचन कराने के प्रयोजन के लिये, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या उपविधियों के अधीन समस्त आवश्यक शक्तियाँ होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर शासी -निकाय को न दिया गया हो, और उसके द्वारा आवेदन किया जाने की दशा में उस आवेदन पर विचार न कर लिया गया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि राज्य सरकार के विवेकानुसार समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक कालावधि के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा।

(4) इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के तथा अनुदेश के जो कि वह समय-समय पर दे, अध्यक्षीय निकाय के या सोसायटी के किसी

अधिकारी के समस्त कृत्य या उनमें से कोई भी कृत्य करने की और ऐसी समस्त कार्यवाहियां जो कि सोसायटी के हित में अपेक्षित हो करने की शक्ति होगी।

(5) राज्य सरकार इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों को पारिश्रमिक नियत कर सकेगी, ऐसे पारिश्रमिक की रकम तथा अन्य खर्चे यदि कोई हो जो सोसायटी के प्रबंध में किये गये हो उसकी (सोसायटी की) निधियों में से देय होंगे।

(6) इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति या नियुक्त किये गये व्यक्ति उसकी या उनकी नियुक्ति का कालावधि का अवसान होने पर सोसायटी के विनियमों के अनुसार नवीन शासी निकाय का गठन करने के लिए व्यवस्था करेगा/करेंगे।

(7) यदि किसी बात के बारे में सोसायटी के साधारण निकाय तथा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच मतभेद हो, तो वह रजिस्ट्रार को विनिश्चित के लिये निर्देशित किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चित अंतिम होगा।

(8) सूचना के जारी किये जाने तथा शासी निकाय को हटाने संबंधी आदेश पारित किये जाने के बीच की कालावधि के दौरान, शासी निकाय से राज्य सरकार द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह (शासी -निकाय) ऐसे प्राधिकारी के जिसे किस सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, पर्यवेक्षण के अधीन तथा उसके अनुमोदन से कृत्य करें और शासी निकाय द्वारा दिया गया कोई आदेश या पारित किया गया कोई संकल्प या दिया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसे विनिर्दिष्ट किये गये प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

टिप्पणी (धारा 33)

छ0ग0 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 धारा 33(4) - सोसायटी का साधारण सम्मिलन दिनांक 15-5-2006 को सम्पन्न होने के बाद कलेक्टर रायपुर को प्रशाशक नियुक्त किया गया। राज्य के प्राधिकारियों ने साधारण सम्मिलन के पश्चात् बनाए गये नये सदस्यों के आधार पर चुनाव कराने का प्रयास किया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका में उच्च न्यायालय (एकल न्यायधीश) ने दिनांक 4-12-2010 को अपीलार्थी द्वारा उचित फोरम में जाने की सुविधा सुरक्षित रखते हुए आदेश पारित किया गया, अतः यह अपील। अभिनिर्धारित - पूर्व आदेश दिनांक 4-12-2010 को स्पष्ट करते निर्देशित किया कि पंजीयक/प्रशाशक द्वारा उन सदस्यों की सूची के अनुसार ही मतदान कराया जावे जो साधारण सम्मिलन की तिथि 15-5-2006 का पंजीकृत थे, और निर्वाचन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 6 सप्ताह की समय-सीमा में सुनिश्चित किया जावे। बाल आश्रम वि. छ.ग. राज्य एवं अन्य रिट पिटीशन नं. 560 सन् 2010 डी.बी. छ.ग.

राज्य से लाभ प्राप्त सोसायटी - याचिकाकर्ता की प्रशाशाकीय निकाय को अतिदृग्ठत करना प्रस्तावित करते हुए शासन द्वारा धारा 33 के अंतर्गत जारी नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि नोटिस विधि के अधिकार के बिना है, याचिकाकर्ता सोसाइटी शासन से लाभ प्राप्त सोसाइटी नहीं है - राज्य शासन के द्वारा यह कथन किया गया कि याचिकाकर्ता सोसाइटी ने राज्य सरकार से जमीन प्राप्त किया है इसलिए "राज्य से लाभ प्राप्त सोसाइटी" की परिभाषा की पूर्ति होती है एवं पट्टा विलेख की प्रतिलिपि पेश किया। अभिनिर्धारित - याचिकाकर्ता सोसाइटी ने राज्य शासन से रियायती दर से जमीन प्राप्त किया है इसलिये उसके कामकाज के प्रबंध को विधिक हस्तक्षेप से विनियमित किये जाने के लिये

अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत बाध्य है। बाल आश्रम वि.छ.ग. राज्य एवं अन्य, 2006 (1) छ.ग. लॉ.ज. 468

सोसायटी की उपविधियां, यह स्पष्ट रूपेण दृष्टि करती है, कि कोई सदस्य तब तक अपने पद को धारण करेगा, जब तक समुचित रूप से निर्वाचित निकाय प्रभार को ग्रहण नहीं कर लेती है। अतिदृष्टि शासी -निकाय पुनस्थापन के बाद युक्तिसंगत समय के अंदर चुनाव को अभिनिर्धारित करना चाहिए। शासन की राय, ऐसी राय पर आधारित निर्णय कारणोंके साथ प्रदान किया जाना चाहिये। राजबहादुर पाठक वि. मध्यप्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1985 एम.पी. 238= 1985 जे.एल. जे 563= 1985 एम.पी.एल.जे. 549

पंजीयक की शक्ति - वह निर्वाचित निकाय के स्थान में तदर्थ समिति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। वह शासी निकाय का अतिलंघन करने में अक्षम है। चंबल घाटी प्रसार समिति वि. मध्यप्रदेश राज्य, 1995 एम.पी.एल.जे. 969=1996 आर.एन. 46

सोसायटी का अधिक्रमण , इसके प्रवर्तन की अवधि केवल तीन वर्ष की है। इस समयावधि के पश्चात् प्रबंध प्रबंधकारी समिति में निहित हो जाती हैं जी.ई.एफ. कर्मचारी यूनियन स्कूल मैनेजिंग बॉडी वि. मध्यप्रदेश राज्य 1993 (2) विधि भास्वर 272

धारा 33 (1) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति उन्हें चर्या संबंधी कार्य करने हेतु एवं दैनिक प्रबंध को देखने के लिए शक्तियाँ प्रदत्त। प्रशासक अतिदृष्टि/सोसायटी में सदस्यों की नियुक्ति एवं सदस्यता का आमंत्रणार्थ प्रकाशन नहीं कर सकता है। कुसुम बाई जैन वि. मध्यप्रदेश राज्य 1998(2) जे.एल.जे. 397

यद्यपि प्रशासक के पास शासी निकाय की सम्पूर्ण शक्तियाँ हैं, परन्तु वह नवीन सदस्य का नाम नहीं लिख सकता है। सोसायटी की अतिदृष्टि तिथि पर उपलब्ध सदस्यों की संख्या के अनुसार निर्वाचन किया जाना है। 1997(6) एस.सी.सी. 37=ए.आई.आर. 1997 सन्या 2925 (अनुसरित)। सुजीत कुमार बनर्जी वि. मध्यप्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2000 एम.पी. 44

राज्य शासन से 1990-91 में याची/सोसायटी को केवल 50,000/- रुपये की सहायता दी गयी थी। याची/सोसायटी राज्य शासन से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है। अतः स्थिति को देखते हुए, वह राज्य सहायता प्रदत्त सोसायटी नहीं है। धारा 33 के अधीन पारित दिनांकित 21-6-2000 आदेशिका को रद्द किया जाता है। 1982 एम.पी.एल.जे. 762 (अनुसरित)। छतरपुर होमियोपैथिक एवं बायोकेमिक अस्सोसिएशन वि. मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2001(3) एम.पी.एल.जे. 405

शासी निकाय के अधिक्रमण हेतु पंजीयक की शक्ति नहीं है। यह शक्ति शासन में निहित है। श्रमधाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन समिति एवं अन्य वि. मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2003 (2) एम.पी.एल.जे. 377

सोसायटियों का विघटन

34. सोसायटियों के विघटन और उनके कार्यकलापों के समायोजन के लिये उपबंध - (1) किसी भी सोसायटी के उतने सदस्य, जो उसके सदस्यों के तीन-पंचमाश से कम न हो, यह अवधारित कर सकेंगे कि उसका विघटन कर दिया जाये, और तदुपरि व तत्काल या उस समय, जबकि सहमति हो जाये, विघटित कर दी जायेगी तथा सोसायटी की सम्पत्ति उसके दावों एवं दायित्वों के निपटारे तथा परिनिर्धारण के लिये उक्त सोसायटी को लागू होने वाले उसके विनियमों, यदि कोई हो के अनुसार और यदि विनियम न हो तोजैसा कि शासी निकाय समीचीन समझे, समस्त अवायश्यक कार्यवाही जी जायेगी।

परन्तु सोसायटी के उक्त शासी निकाय या सदस्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, उसके कार्यकलापों का समायोजन, उस जिले क, जिसमें सोसायटी का मुख्य भवन स्थित हो, आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को निर्देशित किया जायेगा, और न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश करेगा जो कि वह उचित समझे :

परन्तु वह और भी कि कोई भी सोसाइटी तब तक विघटित नहीं की जायेगी, जब तक कि इस प्रयोजन के लिये बुलाये गये साधारण सम्मेलन में उसके सदस्यों के तीन-पंचमाश सदस्यों ने स्वयं या परोक्षी द्वारा मत देकर, ऐसे विघटन के लिये इच्छा अभिव्यक्त न कर दी हो :

परन्तु यह भी कि जब कभी सरकार, किसी सोसायटी का सदस्य हो या उसका अंशदाता हो या उसमें अन्यथा हितबद्ध हो, तो ऐसी सोसायटी सरकार की सम्मति के बिना विघटित नहीं की जायेगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार की, उसे जानकारी प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह राय हो कि सोसायटी निष्क्रिय हो गयी है, या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों का उपविधियों के उपबंधों का पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करती रही है, तो वह (रजिस्ट्रार) सोसायटी पर सूचना की तामील करके, सूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि, जो तीस दिन से कम नहीं होगी, भीतर शासी निकाय से यह कारण दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा, कि क्यों न सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाए।

(3) रजिस्ट्रार, प्राप्त हुये उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सूचना की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाने पर की सोसायटी के चालू रहने में किसी उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति होना संभाव्य नहीं है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट की गयी तारीख से उस सोसायटी का रजिस्ट्रकरण रद्द कर सकेगा, और उस आधार पर सोसायटी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विघटित हुई समझी जायेगी।

35. विघटन होने पर किसी भी सदस्य को लाभ प्राप्त नहीं होगा - यदि किसी सोसायटी का विघटन हो जाने पर उसके समस्त गणों तथा दायित्वों का चुकाया किया जाने के पश्चात् कुछ भी सम्पत्ति बाकी बच जाये, तो उस सम्पत्ति का उक्त सोसायटी के सदस्यों को या उनमें से कि सी भी सदस्य को संदाय नहीं किया जायेगा, या वह उनमें वितरित नहीं की जायेगी अपितु वह किसी अन्य ऐसी सोसायटी को दी जायेगी जिसका कि अवधारण विघटन के समय व्यक्ति या परोक्षी द्वारा उपस्थित सदस्यों के कम से कम तीन पंचमाश सदस्यों के मतों द्वारा या ऐसा न होने की दशा में, धारा 34 में विनिर्दिष्ट न्यायालय द्वारा दिया जायेगा :

परन्तु यह धारा ऐसी सोसायटी को लागू नहीं होगी जो अंशधारियों के अभिदायों द्वारा जॉइन्ट स्टॉक कम्पनी के रूप में प्रारंभ की गई या स्थापित की गई हो।

36. (1) विघटन के पश्चात् इस बात का अवधारणा कि सम्पत्ति का उपयोग सरकार द्वारा किया जायेगा - धारा 35 में अन्तर्विद्गट किसी बात के होते हुए भी धारा 34 के अधीन विघटित हुई किसी सोसायटी के सदस्यों के लिये वह विधिपूर्ण होगा कि वे ऐसे सोसायटी के विघटन के समय व्यक्ति या परोक्षी द्वारा उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा, यह अवधारित करें कि सोसायटी समस्त ऽणों तथा दायित्वों को चुकता किये जाने के पश्चात् जो कुछ भी सम्पत्ति बाकी बचे वह सरकार को दी जाये और सरकार द्वारा उपयोग इस अधिनियम की धारा 2 में निर्देशित किये गये प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये किया जायेगा।

(2) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिए जाने की दशा में सोसायटी या उसकी संस्था या उसके केन्द्रों की जंगम तथा आस्तियां, राज्य सरकार में मदद, अनुदान, सहायता या संदान की उस सीमा तक निहित हो जाएंगी जिसे सोसायटी ने केन्द्र या राज्य सरकार या किन्हीं कानूनी निकायों से प्राप्त किया हो, उस जिले के, जहाँ वह सम्पत्ति स्थित है, कलेक्टर का यह कर्तव्य होगा कि रजिस्ट्रार द्वारा सोसायटी का रजिस्ट्रेशन रद्द किये जाने की प्रज्ञापना पर वह उसका प्रभार ग्रहण करें।

अध्याय - 9

अपराध तथा शष्ठिया

37. अपराधों का संज्ञान - (1) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि उसके (रजिस्ट्रार के) द्वारा इस संबंध में लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, किये गये परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

38. धारा 27 का पालन न करने पर मिथ्या प्रविद्गिट के लिये शासित - (1) यदि अध्यक्ष, सचिव या कोई अन्य व्यक्ति, जो सोसायटी के शासी निकाय के संकल्प द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, धारा 27 के उपबंधों का पालन न करे, तो वह दोष सिद्ध पर जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में, ऐसे अपराध के लिये प्रथम दोषसिद्ध के पश्चात्, भंग चालू रहने की कालावधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिये पचास रुपये से अनाधिक जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 27 द्वारा अपेक्षित की गई सूची में या रजिस्ट्रार को भेजे गये किसी विवरण में या विनियम की प्रतिलिपि में या विनियम में किये गये परिवर्तनों में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्ट या उनमें कोई लोप करेगा या करवायेगा, तो वह दोषसिद्ध पर जुर्मा से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

39. धारा 28 तथा 31 के उल्लंघन के लिये शक्ति - यदि धारा 28 तथा 31 की उपधारा (2) में कोई सोसायटी या कोई व्यक्ति उन धाराओं के अधीन अपेक्षित जानकारी या स्पष्ठीकरण देने से इंकार

करेगा या देने में उपेक्षा करेगा तो वह सोसायटी या ऐसा व्यक्ति दोषगसिद्ध पर जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे अपराध बाबत बीस रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

टिप्पणी (धारा 39)

धारा 37, 38 एवं 39 - आदर्श स्वर्णकार विकास समिति, तेलीपारा बिलासपुर के अध्यक्ष, सचिव तथा कोशाधाक्ष्य के विरुद्ध सन् 1988 से 1998 तक के सदस्यों की वार्षिक सूची एवं आय-व्यय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर धारा 37 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति पर प्रत्येक अभियुक्त को धारा 38(1) के अंतर्गत रु. 280/- तथा धारा 39 के अंतर्गत रु. 20/- के अर्थदण्ड तथा व्यतिक्रम में प्रत्येक अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास आदेश किया गया। दा.प्र.क्र. 1246/05 - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिलासपुर आदेश दिनांक 9-6-2005

अध्याय - 10

अपील

40. अपील - (1) अपील निम्नलिखित होगी -

(क) यदि आदेश धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार द्वारा मूल मामले (केस) में या खण्ड (ख) के अधीन अपील में किया गया है तो राज्य सरकार को,

(ख) यदि आदेश, धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए गए अधीनस्थ अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है तो धारा की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गए रजिस्ट्रार को

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील आदेश की संसूचना की तारीख के दो मास के भीतर फाईल की जाएगी:

परन्तु अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि के अवसान होने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दें, कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण था।

टिप्पणी (धारा 40)

धारा 32 के अधीन पंजीयक जांच नहीं कर सकता है। उन्होंने आक्षेपों को विचारार्थ भेजा। विचार के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपों को निर्णीत किया गया। ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को पुनरावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। कुसुम बाई जैन वि. मध्यप्रदेश राज्य 1998 (2) जे.एल.जे. 397

अधिनियम का उद्देश्य , अधिनियम के अध्याय सात के उद्देश्य के अनुसार पंजीयक से केवल शैक्षिक अधिकारी आयोजित होगा। श्रमधाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन समिति एवं अन्य वि. मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2003 (2) एम.पी.एल.जे. 377

प्रकीर्ण

41. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे - ऐसे प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन द्राक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या उनका प्रयोग करने के लिये अधिकृत किया गया हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।
42. सद्भावनापूर्वक किये गये कार्यों के लिये परित्राण:- रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो, या जिसका कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित हो कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी।
43. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजना को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
- (2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।
44. निरसन - इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर मध्यप्रदेश सोसायटी एक्ट, 1959 (क्रमांक 1 सन् 1960) निरस्त हो जायेगा।